

HARYANA VIDHAN SABHA

Bill No. 12 – HLA of 2014

**THE HARYANA DEVELOPMENT AND
REGULATION OF URBAN AREAS
(AMENDMENT) BILL, 2014**

A

BILL

*further to amend the Haryana Development and Regulation of
Urban Areas Act, 1975.*

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fifth
Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Act, 2014. Short title.
2. In Sub-section (4) of Section 3 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975, for the word “four”, the word “five” shall be substituted. Amendment of
Section 3 of Haryana
Act 8 of 1975.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The urbanization projects, viz., residential (plotted or group housing) commercial or industrial colonies are long-gestation projects. Depending upon the type of a colony, the colonizer is required to obtain several other approvals after grant of licence viz., zoning plans, building plans, environmental clearance etc. before initiating development works or construction activities at site. Going by the past experience the development of a colony invariably takes much more than the prevailing initial validity period of four years to complete. Since there have been no instances of any completion of colony in less than five year period till date, a five year period for initial validity of licence may be considered as appropriate after which further renewal of licence may be considered as per the provisions of the Act on individual merits. It is accordingly proposed to increase the initial validity-period of licence to five years from prevailing four years period, for which Section - 3 of the Act is proposed to be amended. In order to eliminate any loss of revenue to the State on account of licence renewal fees for this extended validity of one year, a corresponding increase to the extent of not less than twenty-five percent of the prevailing rates of licence fees shall be subsequently made through appropriate amendment in the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976.

Hence this Bill.

BHUPINDER SINGH HOODA,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 26th February, 2014.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

N.B.— The above Bill was published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 26th February, 2014, under proviso to rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2014 का विधेयक संख्या 12 - एच० एल० ए०

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2014
हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम। 2014 कहा जा सकता है।
2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 3 की 1975 के हरियाणा अधिनियम 8 की उप-धारा (4), में, "चार" शब्द के स्थान पर, "पांच" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। धारा 3 का संशोधन।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

शहरीकरण परियोजनाएं जैसे रिहायशी (प्लाटिड एवं ग्रुप हाउसिंग), वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक कालोनियां एक तरह से दीर्घावधि परियोजनाएं हैं। कालोनियों के वर्गीकरण के अनुसार, कालोनाईजर के द्वारा, लाइसेन्स लेने उपरांत विकास अथवा निर्माण कार्य शुरू करने से पहले कई तरह के अनुमोदन जैसे सीमांकन प्लैन, जोनिंग प्लैन, भवन प्लैन इत्यादि तथा पर्यावरण विभाग की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। कालोनी के विकास से सम्बन्धित अतीत के अनुभव को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि किसी कालोनी के विकास में विद्यमान चार साल की प्रारम्भिक वैधता अवधि से काफी अधिक समय लगता है। चूंकि, अब तक पांच साल से पूर्व किसी भी कालोनी के विकास का कोई अनुभव उपलब्ध नहीं है, इसलिए लाइसेन्स की प्रारम्भिक वैधता अवधि को पांच साल तक किया जाना उचित होगा, जिसके बाद लाइसेन्स की वैधता को, अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत, व्यक्तिगत गुणदोष के आधार पर नवीकरण किया जा सकेगा। अतः उपरोक्त अनुसार लाइसेन्स की प्रारम्भिक वैधता अवधि को विद्यमान चार साल की अवधि से बढ़ाकर पांच साल तक किया जाना तथा उसके लिए अधिनियम की धारा-3 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

एक साल के इस अतिरिक्त वैधता के कारण लाइसेन्स नवीकरण शुल्क तथा सम्बन्धित राजस्व में किसी तरह के नुकसान को रोकने हेतु लाइसेन्स फीस की वर्तमान दर में कम-से-कम पच्चीस प्रतिशत की वृद्धि से सम्बन्धित उचित संशोधन हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 में किया जाएगा।

अतः यह विधेयक।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,
मुख्य मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 26 फरवरी, 2014.

सुमित कुमार,
सचिव।

अवधेय : उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 26 फरवरी, 2014 के हरियाणा गवर्नमेंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था।